मुकदमों का विवरण

एपीपीएआईवाईए

बनाम

एंडीमुथु @थंगापांडी और ओआरएस। (2015 की सिविल अपील सं. 14,630)

20 सितंबर, 2023

[बी**.** आर**.** गवई और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने के कारण कि विक्रेता के पुत्रों ने विभाजन में वाद संपत्ति कैसे प्राप्त की, ए 1-पंजीकृत बिक्री विलेख प्रदर्शित करें जिसके द्वारा संपत्ति अपीलार्थी के विक्रेता को बेची गई थी, एक पंजीकरण प्रतिलिपि-द्वितीयक साक्ष्य होने के कारण, इसकी मूल सामग्री के प्रमाण के रूप में साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**धारा **65 (**ई**), 74,76,77** और **79-**पंजीकरण अधिनियम**, 1908 -**धारा **57 (5)-**संपत्ति के मामलों में प्रमाणित प्रतियों के साक्ष्य में स्वीकार्यता**-**अपीलार्थी के विक्रेता के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि**-**अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ए**-1** प्रदर्शित करें**,** यदि अपने मूल दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य में स्वीकार्य हैः

आयोजित किया गयाःइसके तहत जारी की गई प्रमाणित प्रत मूल दस्तावेज की प्रति नहीं है, बल्कि पंजीकरण प्रविष्टि की एक प्रति है जो स्वयं मूल की एक प्रति है और एक सार्वजनिक दस्तावेज है।74(2) साक्ष्य अधिनियम और उसके 75 (5) के अनुसार, यह साक्ष्य अधिनियम और धाराओं के प्रावधानों के संचयी प्रभाव को अपने मूल की सामग्री को साबित करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य बनाता है।57(5) पंजीकरण अधिनियम की धारा Ext.A1 के रूप में प्रस्तुत बिक्री विलेख की प्रमाणित संपादित प्रति को उक्त मूल दस्तावेज की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य में स्वीकार्य बनाएगी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि मूल प्रस्तुत करने में विफलता और एक स्वतंत्र गवाह के माध्यम से साबित करने के कारण Ext.A1 की प्रमाणित संपादित प्रति साक्ष्य में अस्वीकार्य है, कानूनी रूप से अस्थिर है-पक्ष में पाई गई Ext.A1 की स्वीकार्यता की स्वीकृति 526

निचली न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का अधिकार और अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया अधिकार इन प्रावधानों के अनुरूप था-एक बार जब बिक्री विलेख के तहत अधिग्रहित अपीलार्थी के विक्रेता का अधिकार स्थापित हो जाता है और अपीलार्थी द्वारा उसी संपत्ति की खरीद, पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी जाती है, तो नीचे दिए अवर न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था-चूंकि बिक्री विलेख कानूनी रूप से मूल बिक्री विलेख की सामग्री को स्थापित करता है, इसलिए इसे अपीलार्थी को पूरी संपत्ति पर अधिकार प्रदान करना चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा नीचे दिए अवर न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों के प्रत्यावर्तन को बनाए रखने का कोई आधार नहीं है।100 सी. पी. सी., क्योंकि इस तरह की कवायद को उचित ठहराने का कोई आधार मौजूद नहीं है-उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया जाता है और निचली विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को स्वीकार करते हुए अपीलीय विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया जाता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -एस. 100.[पैरा 21,29,33 और 34]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विद्याधर बनाम माणिकराव और अन्र। (1999) 3 एससीसी 573:[1999] 1 एससीआर

1168; एल. आर. एस. बनाम नानिलाल हरकचंद शाह (डी) और अन्य द्वारा यादराव दाजीबा श्रवण (डी)। (2002) 6 एस. सी. सी. 404; लंकेश्वर मालाकार बनाम आर. डेका

(2006) 13 एससीसी 570:[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 895; संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एस. सी. सी.[2001] 1 एससीआर 948; एसके। भीकन बनाम मेहमूदाबी (2017) 5 एससीसी 127:[2017] 1 एससीआर 841; आर. नैनार पिल्लई और अन्र. वी.सुब्बैया पिल्लई 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 457/(2008) 3 मैड एल. जे. 219-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2015 की सिविल अपील No.14630।

2004 के एसएएमडी No.802 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.10.2012 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

एस. महेंद्रन, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

एम. पी. पार्थिबन, टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ए. पी. पी. ए. आई. ए. बनाम ए. एन. डी. एम. यू. टी. यू. @थंगापांडी और ओ. आर. एस.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सी. टी. रविकुमार जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा शीर्षांकित अपील 2004 की दूसरी अपील (एम. डी.) संख्या 802 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित दिनांक 17.10.2012 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत और जिसके तहत इसने नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती फैसलों को उलट दिया, जिसमें पूरे मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के संबंध में मुकदमा दायर किया गया था और वादी (इसमें अपीलकर्ता) को, अधिशेष के तहत खरीदे गए 96 सेंट के स्वामित्व और कब्जे का अधिकार दिया गया था। ए 5 बिक्री विलेख।सटीक रूप से, आक्षेपित निर्णय के अनुसार, पेरियांकुलम की उप-अदालत के A.S.No.65/97 में दिनांकित 03.07.2001 के फैसले और जिला मुन्सिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंदीपट्टी के O.S.No.104/96 में दिनांकित 30.09.1997 के डिक्री को उपरोक्त सीमा तक अपास्त करना दिया गया था।इसमें अपीलार्थी वादी था और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 6 क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 3 और 2 थे।प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 मृतक प्रथम प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि हैं।यह घोषणा करने के लिए कि पूरी वाद संपत्ति वादी की है और प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए परिणामी प्रार्थना के लिए विषय वाद का नेतृत्व किया गया था।

2. अपीलार्थी **-(**वादी**)** का मामला संक्षेप में**,** अपील के निपटारे के उद्देश्य से प्रासंगिक है**,** जो इस प्रकार है**:-**

वेल्लैया थेवर ने मदुरै जिले के अंदीपट्टी तालुक के थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण में शामिल 2 एकड़ और 61 सेंट की सूट संपत्ति के संबंध में अपीलार्थी के विक्रेता-पुलियांकलाडी के पिता इरुलप्पन से लिए गए ऋण के लिए एक बंधक विलेख निष्पादित किया।ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक के कारण पुलियांकलाडी ने वेल्लैया थेवर के बेटों के खिलाफ ओ. एस. <आई. डी. 1., थवासी थेवर, कुरुप्पा थेवर, सुब्बैया थेवर और संगु थेवर को पुलियांकलाडी के पक्ष में फैसला सुनाया गया।फरमान को संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने एक्सट के अनुसार संपत्ति को पुलियांकलाडी को बेच दिया। ए 1 पंजीकृत बिक्री विलेख No.1209/1928 दिनांकित 27.08.1928।इसके बाद पुलियांकलाडी ने वेलुचामी और वेल्लामल के पक्ष में वाद संपत्ति का एक बंधक विलेख निष्पादित किया।31.05.1961 पर उन्होंने इसके पक्ष में एक और बंधक विलेख निष्पादित किया

वेलुचामी और वेलम्मल।उक्त बंधक विलेखों को अपीलार्थी (वादी) द्वारा 24.06.1963 पर भुनाया गया था।अंततः, अपीलार्थी ने पुलियांकलाडी और उनके परिवार के सदस्यों, इरुलन, बालकृष्णन और बालकृष्णन के नाबालिग बच्चों सेंथिलकुमारन और बैकियालक्ष्मी से एस. आर.

ओ., अंदीपट्टी के बिक्री विलेख No.1759/1963 के अनुसार <आई. डी. 2 पर सूट संपत्ति खरीदी।तब से, वह इसके अधिकार और आनंद में रहा है।राजस्व अभिलेखों में अपने नाम में इसे बदलने के बाद उन्होंने पट्टा प्राप्त किया और सरकार को किस्ट का भुगतान कर रहे हैं।प्रतिवादी अजनबी हैं जिनके पास मुक़दमे की संपत्ति के दक्षिणी और उत्तरी किनारों पर ज़मीन है।उन्होंने उनसे संपत्ति बेचने की मांग की और मना किए जाने पर वे उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए और उनके शांतिपूर्ण कब्जे और सूट संपत्ति के आनंद में खलल डालने लगे।05.06.1994 पर, प्रतिवादियों ने कुछ अन्य लोगों के साथ उनकी संपत्ति में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सह-ग्रामीणों की मदद से इसे विफल कर दिया गया।3. प्रथम और तीसरे प्रतिवादी ने मुकदमे में लिखित बयान का नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य रूप से इस दावे का खंडन किया गया कि पूरी मुकदमे की संपत्ति पुलियांकलाडी की है और यह तर्क दिया गया कि यह गलत और गलत है और इसलिए, वादी को सख्त सबूत के सामने रखा जा सकता है।प्रतिवादियों का आगे का मामला यह था कि सर्वेक्षण No.845/1 में संपत्ति की कुल सीमा में से 75 सेंट थवासी एंडी थेवर, वेलुथाई अम्मल और पहले प्रतिवादी के थे, और थवासी एंडी थेवर के बेटे, वेलुथाई अम्मल और पहले प्रतिवादी ने 14.09.1961 पर पोम्मिनायक्कनपट्टी पलानीअम्मल के पक्ष में रु। 1000/-।इसके अलावा, एंडिपट्टी उप-रजिस्ट्री के बिक्री विलेख No.2178/1974 के अनुसार तीसरे प्रतिवादी ने सर्वेक्षण No.845/1 और उसके कुएं में 30 सेंट, पश्चिम की ओर 1/5 वां कमलाइवरी चैनल और 1⁄2 कमलाइवरी चैनल खरीदा और तब से वह उक्त सीमा का अधिकार और आनंद ले रही है।संक्षेप में, उनके अनुसार सर्वेक्षण No.845/1 में शामिल पूरी संपत्ति को हड़पने के इरादे से मुकदमा दायर किया गया था।

4. दलीलों के आधार पर निचली विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-

“1. क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है?2. क्या वादी की बिक्री जाली है?

3. क्या 14.9.198 दिनांकित बंधक विलेख वास्तविक है?4. क्या 13.9.1974 दिनांकित बिक्री विलेख वास्तविक है?

529

ए. पी. पी. ए. आई. ए. बनाम ए. एन. डी. एम. यू. टी. यू. @थंगापांडी और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.] 530

5. क्या मुकदमों की पूरी संपत्ति वादी के कब्जे में नहीं है?

6. वादी किस राहत का हकदार है?”

5. इसके बाद**,** एक अतिरिक्त मुद्दा इस प्रकार तैयार किया गया:-

“1. क्या वादी मुकदमे की संपत्ति की घोषणा करने का हकदार है?”

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से, उसने खुद को पीडब्लू-1 और एक्सट के रूप में जांचा।ए 1 से ए 8 तक चिह्नित किए गए थे और प्रतिवादियों की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई थी।

बी1 से बी14 तक चिह्नित किए गए थे।बाहर।सी1 से सी8 को न्यायालयी दस्तावेजों के रूप में चिह्नित किया गया था।पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, निचली न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वादी यह घोषणा करने का हकदार है कि पूरी वाद संपत्ति उसकी है और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों और उनके लोगों को वाद संपत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए और तदनुसार मुकदमे का फैसला सुनाया।स्पष्ट रूप से, 1997 के प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय ने 1997 के द्वितीय अपीलीय विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री के खिलाफ प्रतिवादियों के नेतृत्व में प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद, 'सी. पी. सी.') के आदेश एक्स. एल. आई. के तहत किसी भी विशिष्ट बिंदु (बिंदुओं) को तैयार नहीं किया, लेकिन कहा कि विचार करने वाला मुद्दा यह है कि क्या अपील की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि उसमें अपीलार्थियों/प्रतिवादी 1 और 3 द्वारा अनुरोध किया गया है।जाहिर है, अतिरिक्त दस्तावेज प्रतिवादी 1 और 3 के नेतृत्व में थे और एक्सट्स के रूप में साक्ष्य में प्राप्त किए गए थे।निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा बी15, बी16 और बी17।इस तरह के अतिरिक्त साक्ष्य की सराहना करने के बाद भी, उसे निचली न्यायालय के फैसले और डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और परिणामस्वरूप, अपील को खारिज कर दिया गया।

7. असफल प्रतिवादियों ने सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दूसरी अपील का नेतृत्व किया, जिसकी परिणति विवादित फैसले में हुई।उच्च न्यायालय ने तीन प्रश्नों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तैयार किया और एक विस्तृत विचार के बाद, उच्च न्यायालय ने कानून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपीलार्थियों के पक्ष में रखा।, प्रतिवादी संख्या 1 और 3।एक आवश्यक अगली कड़ी के रूप में, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में मुकदमे को आदेश देने वाले अवर न्यायालयों ों के समवर्ती निर्णयों को ऊपर उल्लिखित सीमा तक अपास्त करना दिया गया था और तदनुसार अपील की अनुमति दी गई थी।

8. अपीलार्थी/वादी विभिन्न आधारों पर उपरोक्त दूसरी अपील को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करता है।मूल।

अपीलार्थी का तर्क है कि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए तथ्यों के कुछ अंश दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती से मुक्त हैं क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्यों पर अंतिम न्यायालय है।यह सच है कि यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। साथ ही, यह स्थिति अपवादों से रहित नहीं है।अपीलार्थी द्वारा लिए गए निर्णय ही उस पर निर्भर थे।,

विद्याधर बनाम माणिकराव और अन्र। 1 और एल. आर. एस. बनाम नानिलाल हरकचंद शाह (डी) और अन्य द्वारा यादराव दाजीबा श्रवण (डी)। 2 स्वयं जाएँगे

दिखाएँ कि यह कानून की एक अलंघनीय स्थिति नहीं है।9. अपीलार्थियों द्वारा उन निर्णयों में जिन प्रासंगिक अनुच्छेदों पर भरोसा किया गया है, वे स्वयं यह स्पष्ट करेंगे कि तथ्यों पर समवर्ती निर्णय होना उच्च न्यायालय की ओर से कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कुछ स्थितियों में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) तैयार करने के बाद धारा 100, सी. पी. सी. के तहत हस्तक्षेप की अनुमति है।

10. विद्याधर के मामले में **(**ऊपर**):-**

"23. निचली न्यायालय और निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से दर्ज किए गए तथ्यों को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 100 सी. पी. सी. के तहत दूसरी अपील में कानूनी रूप से परेशान नहीं किया जा सकता था, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया था कि तथ्य विकृत थे, जो किसी भी सबूत पर आधारित नहीं थे या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था।"

यदराव दाजीबा श्रावणे के मामले में (ऊपर):-

31. निर्णय में की गई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और कुछ गवाहों द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित किया है जिन्हें स्वीकार या निष्कर्ष के रूप में माना जा सकता है।यह स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि जब तथ्य न्यायालय का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या या अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार करने या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करने पर आधारित होता है, तो दूसरी अपील में उच्च न्यायालय निर्णय में हस्तक्षेप करने का हकदार होता है।यह स्थिति भी अच्छी तरह से तय की गई है कि पक्षों या उनके गवाहों का प्रवेश प्रासंगिक साक्ष्य हैं और अदालतों द्वारा उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

1 (1999) 3 एससीसी 573 2 (2002) 6 एससीसी 404 531

11. निर्दिष्ट निर्णयों (ऊपर दिए गए) पर भरोसा करते हुए अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए तर्कों के संदर्भ में केवल इस प्रश्न पर विचार करना उचित है, "कानून का सारवान प्रश्न क्या है"।

12. लंकेश्वर मालाकार बनाम आर. डेका 3 में निर्णय लिया गया था।

कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न होने के लिए, परीक्षण यह है कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से या पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकार को प्रभावित करता है या क्या यह प्रश्न अभी भी खुला है, यानी यह सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या प्रिवी काउंसिल द्वारा पूरी तरह से तय नहीं किया गया है।

13. वास्तव में, संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी 4 में अन्वेषण करते हुए

"कानून का सारवान सवाल" वाक्यांश का अर्थ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“12. संशोधित धारा 100 में होने वाला वाक्यांश "कानून का सारवान प्रश्न" संहिता में शामिल नहीं है।सारगर्भित शब्द, "कानून के प्रश्न" को अर्हता प्रदान करने के रूप में, का अर्थ है-सार, आवश्यक, वास्तविक, ध्वनि मूल्य का, महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण होना।इसे तकनीकी, कोई सार या परिणाम नहीं, या केवल अकादमिक के साथ विरोधाभास में कुछ के रूप में समझा जाना चाहिए।हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने "सामान्य महत्व के" शब्दों को पर्याप्त करके "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" के दायरे को योग्य नहीं बनाने का विकल्प चुना है जैसा कि संहिता की धारा 109 या संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) जैसे कई अन्य प्रावधानों में किया गया है।कानून का वह सारवान प्रश्न, जिस पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाएगी, जरूरी नहीं कि सामान्य महत्व का कानून का सारवान प्रश्न हो।गुरन डिट्टा बनाम टी. राम डिट्टा [ए. आई. आर. 1928 पी. सी. 172:55 आई. ए. 235], वाक्यांश "कानून का सारवान प्रश्न" जैसा कि तत्कालीन मौजूदा धारा 110 सी. पी. सी. (संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा हटाए जाने के बाद से) के अंतिम खंड में प्रयुक्त किया गया था, विचार के लिए आया और उनके प्रभुत्वों ने माना कि इसका अर्थ सामान्य महत्व का सारवान प्रश्न नहीं है, बल्कि कानून का सारवान प्रश्न है जो पक्षकारों के बीच मामले में शामिल था।सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनामसेंचुरी एसपीजी। और एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड [1962 सप्लीमेंट (3) एससीआर 549] संविधान पीठ ने एक पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निम्नलिखित विचार के साथ सहमति व्यक्त की।

3 (2006) 13 एस. सी. सी. 570

4 (2001) 3 एस. सी. सी. 17

मद्रास उच्च न्यायालय ने रिम्मलपुडी सुब्बा राव बनाम नूनी वीराजू ए. आई. आर. 1951 मद 969 में कहाः

“[यदि कानून का कोई प्रश्न काफी तर्कपूर्ण है, जहां उस पर अलग-अलग राय की गुंजाइश है या जहां न्यायालय ने उस प्रश्न से कुछ विस्तार से निपटना और वैकल्पिक विचारों पर चर्चा करना आवश्यक समझा है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।दूसरी ओर, यदि प्रश्न व्यावहारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया था या यदि प्रश्न निर्धारित करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं और एकमात्र प्रश्न उन सिद्धांतों को मामले के विशेष तथ्यों पर लागू करने का था, तो यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।”

और निम्नलिखित परीक्षण को उचित परीक्षण के रूप में निर्धारित किया, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त हैः

“यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त है, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और

पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह इस न्यायालय द्वारा या प्रिवी काउंसिल द्वारा या संघीय न्यायालय द्वारा स्वाभाविक रूप से तय नहीं किया गया है या यह मतभेद से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों की चर्चा के लिए आह्वान नहीं करता है।यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा।

13. डी में। कॉम., हरदोई बनाम रामकृष्ण नारायण [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 521] यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अपीलार्थी को संहिता की (तत्कालीन) धारा 110 के तहत प्रमाण पत्र का हकदार बनाता है।

14. कानून का एक बिंदु जो किसी दो राय को स्वीकार नहीं करता है, वह कानून का प्रस्ताव हो सकता है लेकिन कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो सकता है।"सारवान" होने के लिए कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या एक बाध्यकारी मिसाल द्वारा तय नहीं किया गया हो, और मामले के निर्णय पर एक सामग्री असर होना चाहिए, अगर किसी भी तरह से जवाब दिया जाए, जहां तक पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है।कानून का सवाल होना 533

ए. पी. पी. ए. आई. ए. बनाम ए. एन. डी. एम. यू. टी. यू. @थंगापांडी और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.] 534 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

“इस मामले में शामिल होने के लिए "पहले अभिवचनों में रखी गई एक नींव होनी चाहिए और यह सवाल तथ्यों की न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यों के स्थायी तथ्यों से उभरना चाहिए और मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए कानून के उस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक होना चाहिए।उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूरी तरह से नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है।इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है और मामले में शामिल है या नहीं; सर्वोपरि समग्र विचार सभी चरणों में न्याय करने के लिए अनिवार्य दायित्व और किसी भी मुकदमे के जीवन में लंबे समय तक बचने की आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता है।”

14. एस. के. में निर्णय में। भीकन बनाम मेहमूदाबी 5, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब न्यायालय को दस्तावेजों की व्याख्या करने और उनके प्रभाव की जांच करने के लिए कहा जाता है, तो विवाद की प्रकृति और इसमें शामिल मुद्दों के आधार पर, यह कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) का गठन करेगा।

15. धारा 100, सी. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के अनुसार नीचे दिए गए न्यायालय के समवर्ती निर्णयों को उलटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।

16. जाहिर है**,** उच्च न्यायालय ने कानून के तीन प्रश्न तैयार किए**,** जो इस प्रकार हैं**:-**

"1. क्या नीचे दी अवर न्यायालयों अर्थ लगाने में कानूनी रूप से सही हैं

Ex.A.1 बिक्री विलेख दिनांक 27.08.1928 पुलियांकलाडी के पक्ष में, वाद संपत्ति के पूर्ववर्ती-इन-टाइटल के रूप में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा कथित बिक्री विलेख में वर्णित सीमा और सीमा के विपरीत आरोप लगाया गया है?

2. क्या अवर न्यायालयों ने यह मानते हुए कानून में गलती की है कि अपीलार्थी/प्रथम प्रतिवादी ने पूर्ववर्ती का खिताब स्वीकार किया है।, Exs.A.2, A. 3, A. 4 और अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए पुलियांकलाडी।

3. क्या अवर न्यायालयों ने बोझ डालने में कानून की गलती की है

5 (2017) 5 एससीसी 127

यह साबित करने के लिए कि वादी वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे में वाद संपत्ति की संपूर्णता का हकदार नहीं है, अपीलार्थियों/प्रतिवादियों पर सबूत?"

17. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने उन सभी को प्रतिवादियों के पक्ष में जवाब दिया और परिणामस्वरूप समवर्ती निर्णयों को ऊपर उल्लिखित सीमा तक उलट दिया। विवादित फैसले की जांच से इस तरह के उलटने के मुख्य कारणों का पता चलेगा जो इस प्रकार हैं:-

(i) वेल्लैया थेवर के पुत्रों द्वारा पुलियांकलाडी के पक्ष में दिनांकित ए1, बिक्री विलेख प्रदर्शित करें (इस अपील में अनुलग्नक पी1 के रूप में प्रस्तुत) को निष्पादित किया गया था।हालाँकि, वादी/अपीलार्थियों द्वारा यहाँ कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि उन्होंने इसे विभाजन के तहत कैसे प्राप्त किया ताकि उन्हें इसे अलग करने का अधिकार हो।

(ii) प्रदर्शनी ए1 धारा 90 के तहत प्रदान की गई वास्तविकता के अनुमान और साक्ष्य अधिनियम, 1872 के 110 के तहत स्वामित्व के अनुमानित प्रमाण को इस कारण से आकर्षित नहीं करेगा कि यह केवल दिनांकित 27.08.1928 पंजीकृत बिक्री विलेख की एक पंजीकरण प्रति है और इसकी वास्तविकता विवादित है।इसके अलावा, आर. नैनार पिल्लई और ए. एन. आर. बनाम मामले में निर्णय के आलोक में।सुब्बैया पिल्लई 6 साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज़ को स्वीकार करने और इसे वास्तविक मानने के लिए एक स्वतंत्र गवाह द्वारा पुष्टि की आवश्यकता

होती है।(iii) ए 2, ए 3 और ए 4 का प्रदर्शन साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के तहत अपीलार्थियों को उसमें प्रत्यर्थी -वादी के शीर्षक पर विवाद करने से नहीं रोकेगा क्योंकि प्रदर्शनी ए 1 के तहत जिस पर विचार किया गया था, वह प्रदर्शनी ए 2 से ए 4 के तहत किए गए व्यवहार से अलग है।

((iv) नीचे दिए गए न्यायालयों ने अपीलार्थी के पिता और पेरुमल नायककर (वादी की मां) द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख की प्रमाणिक संपादित प्रति, प्रदर्शनी बी1, पर पोम्मी नायककर के पक्ष में 52 सेंट की सीमा तक भरोसा नहीं किया, जिसमें मदुरै जिले के अंदीपट्टी तालुक के थिम्मारसनाइकनूर गांव में सर्वेक्षण आई. डी. 1 शामिल है।

6 2007 एससीसी ऑनलाइन मैड 457/(2008) 3 मैड एलजे 219 535

ए. पी. पी. ए. आई. ए. बनाम ए. एन. डी. एम. यू. टी. यू. @थंगापांडी और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.] 536

(v) वेल्लैया थेवर केवल 96 सेंट का हकदार था और इसलिए प्रदर्शनी ए 5 के संदर्भ में, वादी (अपीलार्थी) केवल 96 सेंट का हकदार है।

(vi) दोनों पक्षों ने किस्ट रसीद, चित्त और पट्टा का उत्पादन किया है।

18. उन कारणों के आलोक में जिन्होंने उच्च न्यायालय को समवर्ती निर्णयों को उलटने के लिए राजी किया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनकी स्थिरता को धारा 100, सी. पी. सी. के तहत शक्ति के प्रयोग के दायरे के संबंध में और साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के संबंध में कानून की स्थिति के संबंध में देखा जाना चाहिए जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

19. हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कानूनी रूप से सही था कि वादी (अपीलकर्ता) द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करने के कारण कि वेल्लैया थेवर के बेटों ने विभाजन में वाद संपत्ति कैसे प्राप्त की, प्रदर्शनी ए 1, एक पंजीकरण प्रति (द्वितीयक साक्ष्य) होने के कारण, साक्ष्य में इसकी मूल सामग्री के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।शुरुआत में, यह कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए उच्च न्यायालय साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर उचित रूप से विचार करने में विफल रहा है।यदि उक्त अधिनियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों को मामले के तथ्यों पर ठीक से लागू किया जाता, तो उच्च न्यायालय आर. नैनार पिल्लई के मामले (उपरोक्त) पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा नहीं रखता कि चूंकि ए 1 एक पंजीकरण प्रति है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत मूल के उचित निष्पादन की धारणा, विशेष रूप से स्वतंत्र गवाह के अभाव में उपलब्ध नहीं होगी।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 61,63,65,74,76,77 और धारा 79 के तहत प्रावधानों पर उचित विचार करने से यह स्पष्ट रूप से सामने आया होगा कि धारा

90 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 की प्रयोज्यता पर विचार करना बिल्कुल अनावश्यक था। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र गवाह के माध्यम से भी सबूत मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

20. शुरू में, यह ध्यान रखना बहुत प्रासंगिक है कि निचली न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाता है।ए 1 से ए 5 तक सभी उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत हैं और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी, बल्कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने भी तथ्यों पर उक्त तथ्यों को उलट नहीं दिया।निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने (प्रदर्शनी ए 1) बिक्री विलेख सं. 1209/1928 दिनांक 27.08.1928 की पंजीकृत प्रति प्रस्तुत की है जिसे निष्पादित किया गया है।

वेल्लैया थेवर के पुत्रों द्वारा पुलियांकलाडी के पक्ष में।साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।धारा 63 जो द्वितीयक साक्ष्य की एक समावेशी अवज्ञा है, उसकी उप-धारा (1) के तहत प्रदान करती है कि "इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां" द्वितीयक साक्ष्य का गठन करती हैं।निश्चित रूप से, धारा 65 के तहत आने वाले मामले धारा 64 के तहत जनादेश के लिए अपवाद हैं कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।धारा 65 में यह प्रावधान है कि दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य उसके तहत दिए गए विभिन्न मामलों में किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के बारे में दिया जा सकता है।धारा 65, जहाँ तक इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः-

“65. जिन मामलों में दस्तावेजों से संबंधित गौण साक्ष्य दिए जा सकते हैं।––निम्नलिखित मामलों में किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता हैः––

(ए)।

(बी)।

(सी)।

(डी)।

(ई) जब मूल धारा 74 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज है;

.....

(ई) या (एफ) के मामले में, दस्तावेज़ की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, लेकिन कोई अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।"

(रेखांकित करें)

21. धारा 74 उन दस्तावेजों से संबंधित है जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं।इसकी उप-धारा (2) धारा 74 के तहत "सार्वजनिक दस्तावेज" के दायरे में निजी दस्तावेजों के [किसी भी राज्य में] रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती है।धारा 76 के अनुसार, सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, मांग पर, सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाले सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा, ऐसी प्रति के नीचे लिखे गए प्रमाण पत्र के साथ दी जाएंगी कि यह ऐसे दस्तावेज या उसके हिस्से की एक वास्तविक प्रति है, जैसा भी मामला हो, और इस तरह के प्रमाण पत्र को ऐसे अधिकारियों द्वारा उनके नाम और उनके आधिकारिक दस्तावेज 537 के साथ दिनांकित और अभिदान किया जाएगा।

शीर्षक।इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियों को धारा 76 के संदर्भ में प्रमाणित प्रतियां कहा जाएगा।

22. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाथ में मामले में, अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 27.08.1928 प्रदर्शनी ए 1 बिक्री विलेख की एक प्रमाणित प्रत प्रस्तुत की गई थी।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नीचे दिए गए न्यायालयों ने पाया कि यह उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत है।प्रत्यर्थी (गण) का तर्क है कि यह केवल एक प्रमाणित प्रतिलिपि है न कि मूल दस्तावेज।साक्ष्य अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के संबंध में कानून में माध्यमिक साक्ष्य के रूप में ऐसी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पेश करने की अनुमति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार ऐसी प्रमाणित प्रतियां संबंधित सार्वजनिक दस्तावेज की सामग्री के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।धारा 79 प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के बारे में अनुमान से संबंधित है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 और 79 इस प्रकार हैः-

"77. प्रमाणित प्रतियों के उत्पादन द्वारा दस्तावेजों का प्रमाण।–– इस तरह की प्रमाणित प्रतियां सार्वजनिक दस्तावेजों की सामग्री या सार्वजनिक दस्तावेजों के कुछ हिस्सों के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिनकी वे प्रतियां होने का दावा करती हैं।

79. प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के बारे में अनुमान।– न्यायालय प्रत्येक दस्तावेज को (वास्तविक होने के लिए) मान लेगा जो एक प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि या अन्य दस्तावेज है, जिसे कानून द्वारा किसी विशेष तथ्य के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य घोषित किया गया है, और जिसे (केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या (जम्मू और कश्मीर राज्य में) किसी अधिकारी द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत है, विधिवत प्रमाणित किया

जाना है।बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज़ काफी हद तक उस रूप में है और उस संबंध में कानून द्वारा निर्देशित तरीके से निष्पादित किया जाना अभिप्रेत है।

न्यायालय यह भी मान लेगा कि कोई भी अधिकारी जिसके द्वारा ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने या प्रमाणित किए जाने का तात्पर्य है, जब उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह आधिकारिक चरित्र था जिसका वह ऐसे पत्र में दावा करता है।"

23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रावधान को देखते हुए, पंजीकरण अधिनियम की धारा 57 (5) मामले के संदर्भ में प्रासंगिक है और यह इस प्रकार हैः

"57. कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं के निरीक्षण की अनुमति देने और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां देने के लिए अधिकारियों को पंजीकृत करना।—

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5) इस धारा के तहत दी गई सभी प्रतियों पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी, और मूल दस्तावेजों की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से स्वीकार्य होगी।"

(रेखांकित करें)

24. अब, हमें उपरोक्त प्रावधानों के संचयी प्रभाव पर विचार करना होगा जैसा कि अपीलार्थी-वादी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विलेख No.1209/1928 दिनांक 27.08.1928 (अनुलग्नक P1) की प्रमाणित प्रतियों से संबंधित है।

25. उक्त प्रश्न पर विचार करते समय प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उठाए गए बिंदु संख्या 8 और 9 का उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक है।, इस अपील में प्रत्यर्थी ।वे इस प्रकार पढ़ते हैंः-

"8. साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के संदर्भ में ए 1 को प्रदर्शित करना एक प्राचीन दस्तावेज है और यह अनुमान इस हद तक सीमित है कि इसे निष्पादित किया गया था।

9. दस्तावेज़ का निष्पादन विवाद में नहीं है और धारा 90 के तहत अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

26. इस अपील में प्रतिवादी द्वारा ऊपर उठाए गए बिंदु Nos.8 और 9 से पता चलेगा कि उसने Ext.A1 बिक्री विलेख No.1209/1928 दिनांक 27.08.1928 के निष्पादन पर विवाद नहीं किया था।Ext.A1 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इसके तहत किए गए लेन-देन में शामिल विषय संपत्ति सर्वेक्षण No.845/1 में संपत्ति है, जिसका विस्तार 2 एकड़

और 61 सेंट है जो मदुरै जिले के थिम्मारसनाइकनूर गांव में स्थित है।इसलिए, सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी/वादी ने विस्तार की सामग्री को साबित किया है। ए 1 साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में।

27. उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए**,** वे यह हैं कि निर्विवाद रूप से **Ext.A1** एक पंजीकृत **539** है।

एस. आर. ओ. अंदीपट्टी के दिनांकित बिक्री विलेख 27.08.1928 की प्रति और इसके निष्पादन पर कोई विवाद नहीं है।इसे पीडब्लू-1 के माध्यम से चिह्नित किया गया था।प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी ओप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी उप्रत्यर्थी ठप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी उप्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी न्यायालयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी णप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ुप्रत्यर्थी छप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ।प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था कि Ext.A1 केवल SRO एंडिपट्टी के बिक्री विलेख संख्या 1209/1928 दिनांकित 27.08.1928 की एक पंजीकरण प्रति है, और पुलियांकलाडी के नाम पर इसके मूल स्वामित्व विलेख को सबूत के

रूप में चिह्नित नहीं किया गया था।इसके अलावा उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलियांकलाडी ने वेल्लैया थेवर के बेटों, थवासी थेवर, कुरुप्पा थेवर, सुब्बैया थेवर और संगु थेवर से बिक्री विलेख के अनुसार संपत्ति प्राप्त की, लेकिन संपत्ति को अलग करने के लिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने वाले विभाजन का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 और 110 के प्रावधानों के आधार पर कुछ अन्य कारणों पर भी Ext.A1 की पंजीकरण प्रति पर कार्रवाई नहीं करने के लिए हमला किया गया था।

28. उपरोक्त संदर्भ में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वेल्लैया थेवर के बेटों ने, जिनका नाम ऊपर दिया गया है, थिम्मरसनायकनूर गांव के सर्वेक्षण संख्या में शामिल 2 एकड़ और 61 सेंट की संपत्ति को पुलियांकलाडी को उन परिस्थितियों में बेच दिया, जिनका उल्लेख इसके तहत विशिष्ट रूप से किया गया है, दिनांक 1209/1928 के पंजीकृत बिक्री विलेख के अनुसार।यह किसी का मामला नहीं है कि वेल्लैया थेवर के भाई-बहनों ने Ext.A1 को किसी भी न्यायालय में 15.07.1963 तक चुनौती दी, जिस दिन पुलियांकुलाडी ने SRO एंडिपट्टी के Ext.A5 बिक्री विलेख No.1759/1963 के अनुसार इसे अपीलार्थी/वादी को बेच दिया था।इसके अलावा, इसका निष्पादन विवाद में नहीं है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।जाहिर है, एक्सट के तहत क्या बेचा गया था। पुलियांकलाडी द्वारा अपीलार्थी/वादी को ए 5 पंजीकृत बिक्री विलेख वही संपत्ति है जो मदुरै जिले के थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण में शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 2 एकड़ और 61 सेंट है जैसा कि उक्त बिक्री विलेख के तहत खुलासा किया गया है।संक्षेप में, रिकॉर्ड पर सामग्री से जो स्पष्ट है वह यह है कि दोनों एक्सटीएस।ए 1 और ए 5 बिक्री विलेखों को आज तक किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा।किसी भी तरह से, उन पंजीकृत दस्तावेजों के खिलाफ सफल चुनौती का खुलासा करने वाला कोई भी दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है।

29. उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ उल्लिखित साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में हम पहले इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या अपीलार्थी/वादी इसमें सफल हुआ था।

Ext.A1 की सामग्री को साबित करना।धारा 65 (ई) के अनुसार जब किसी दस्तावेज़ का मूल धारा 74 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है, तो उसके मूल से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य अर्थात।, इसके अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु के बारे में इसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके बताया जा सकता है।Ext.A1, निर्विवाद रूप से एस. आर. ओ. एंडिपट्टी के बिक्री विलेख संख्या 1209/1928 दिनांकित 27.08.1928 की प्रमाणित संपादित प्रति है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 (2) के संदर्भ में, इसका मूल सार्वजनिक दस्तावेज की अवज्ञा के दायरे में आता है और ऐसा कोई मामला नहीं है कि इसे साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदान किए गए

तरीके से प्रमाणित नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, एकमात्र आपत्ति यह है कि जो Ext.A1 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वह केवल बिक्री विलेख की एक प्रमाणित प्रतिलिपि है और इसका मूल साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया था।साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के लागू होने पर उक्त आपत्ति के खोखलेपन और अस्थिरता का पता चलेगा।यह इस संबंध में है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 और 79, जैसा कि पहले निकाला गया था, प्रासंगिकता ग्रहण करती है।धारा 77 में किसी सार्वजनिक दस्तावेज की मूल सामग्री के प्रमाण के रूप में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान है।धारा 79 प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के रूप में अनुमान लगाने का प्रावधान है जिसमें ऐसी प्रकृति के दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य घोषित करने वाली कानून का अस्तित्व प्रदान किया गया है।जब उपरोक्त प्रावधानों के तहत यह स्थिति होती है, तो इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि विचाराधीन दस्तावेज़ एक पंजीकृत बिक्री विलेख है, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज़ की अवज्ञा के दायरे में आता है, सवाल यह है कि क्या कोई कानून मौजूद है जो किसी दस्तावेज़ की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि को उसके मूल दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से सबूत में स्वीकार्य घोषित करता है।पंजीकरण अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (5) वह सुसंगत प्रावधान है जो यह प्रावधान करता है कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 57 के तहत दी गई प्रमाणित प्रतिलिपि अपने मूल दस्तावेज की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से स्वीकार्य होगी।इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके तहत जारी की गई प्रमाणित प्रति मूल दस्तावेज की प्रति नहीं है, बल्कि पंजीकरण प्रविष्टि की एक प्रति है जो स्वयं मूल की एक प्रति है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 (2) के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसकी उप-धारा (5), इसे मूल की सामग्री को साबित करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य बनाती है।ऐसा कोई मामला नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य देने की नींव नहीं रखी गई थी और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निचली न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने इसे साक्ष्य में स्वीकार्य पाया।इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57 (5) की उपरोक्त धाराओं का संचयी प्रभाव 541 की प्रमाणित प्रतिलिपि बना देगा।

एस. आर. ओ. एंडिपट्टी का दिनांकित बिक्री विलेख सं. 1209/1928, जिसे उक्त मूल दस्तावेज की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य में स्वीकार्य Ext.A1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।जब साक्ष्य अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम के तहत पहले निर्दिष्ट विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में यह स्थिति है, तो हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि मूल प्रस्तुत करने में विफलता और एक स्वतंत्र गवाह के माध्यम से साबित करने के कारण आई. डी. 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में अस्वीकार्य है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।दूसरे शब्दों में, निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी/वादी के पक्ष में पाई गई Ext.A1 की स्वीकार्यता की स्वीकृति और प्रथम अपील

अदालत द्वारा दी गई पुष्टि पूरी तरह से पहले निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप थी और उच्च न्यायालय ने Ext.A 1 की स्वीकार्यता के संबंध में निर्णय को उलटने में त्रुटि की थी। 30.जब प्रत्यर्थी द्वारा Ext.A1 के निष्पादन पर विवाद नहीं किया गया था (वास्तव में परिस्थितियों में यह निर्विवाद था) और जब एस. आर. ओ. एंडिपट्टी के मूल बिक्री विलेख की सामग्री जिसमें संख्या 1209/1928 दिनांक 27.08.1928 है, प्रमाण पत्र की प्रत प्रस्तुत करके साबित की गई थी, तो तत्काल मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 या 110 के आवेदन की तलाश करने का कोई कारण नहीं था।तत्काल मामले में शामिल परिस्थितियों में Ext.A1 या Ext.A5 की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को साबित करने के उद्देश्य से, साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 या धारा 110 को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि एक बार जब वादी के विक्रेता पुलियांकलाडी का स्वामित्व Ext.A1 बिक्री विलेख के तहत अर्जित किया जाता है और वादी द्वारा उसी संपत्ति की खरीद की जाती है, तो निश्चित रूप से उसके पिता की ओर से, Ext.A5 पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाता है, नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था।इस प्रश्न पर आगे चर्चा करने से पहले, हम चीजों की वास्तविकता में एक अन्य पहलू का उल्लेख करेंगे।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि वस्तुतः, उच्च न्यायालय भी, लगातार, विदेशियों की स्वीकार्यता से सहमत था।ए 1 और ए 5।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी/वादी द्वारा Ext.A5 के तहत 96 सेंट खरीदे गए थे।विवादित फैसले के पैराग्राफ 14 में उच्च न्यायालय ने कहाः-

“हालांकि, भले ही पहली अपीलार्थी संपत्ति/वादी ने पूरे मुकदमे की संपत्ति के लिए घोषणा के लिए अनुरोध किया है जैसा कि अपीलार्थी /प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वादी पुलियांकलाडी के अधिकार ने खरीद लिया है

वेलैया थेवर की संपत्ति और उसकी संपत्ति केवल 96 सेंट का हकदार है और जैसा कि कहा गया है कि प्रथम प्रतिवादी/वादी ने बिक्री विलेख Ex.A.5 के अनुसार 96 सेंट का स्वामित्व लिया है और इसे प्रदान नहीं किया है और तदनुसार, वह स्वामित्व के साथ-साथ कब्जे का भी हकदार है।”

31. यदि 'आई. डी. 2' को इसकी मूल सामग्री को साबित करने के लिए स्वीकार्य प्रमाणित संपादित प्रति के रूप में नहीं लिया गया था और तदनुसार, इसकी मूल सामग्री को साबित के रूप में लिया गया था, तो 'आई. डी. 1' बिक्री विलेख के तहत वादी को इसके तहत कवर की गई संपत्ति को बेचने के लिए 'आई. डी. 2' बिक्री विलेख को पुलियांकलाडी को स्वामित्व देने के लिए स्वीकार करने का सवाल कहां है, जैसा कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 14 में माना गया है।इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मदुरै जिले के थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 845/1 में शामिल 2 एकड़ और 61 सेंट की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पुलियांकलाडी को अधिकार प्रदान करने वाला कोई अन्य सिद्ध दस्तावेज नहीं है।संक्षेप में, उच्च न्यायालय की ओर से यह घोषणा करने में की गई कार्रवाई कि अपीलार्थी /वादी को बिक्री

विलेख के अनुसार 96 सेंट से अधिक का अधिकार मिला है और इसलिए, वह उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सीमा तक स्वामित्व के साथ-साथ कब्जे का भी हकदार है, विदेशों की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को स्वीकार करने के बराबर है।ए 1 और ए 5 जैसा कि निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

32. अब विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि मदुरै जिले के अंदीपट्टी तालुक के थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण में शामिल 2 एकड़ और 61 सेंट के पूरे क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा।हम यह समझने से चूक गए हैं कि उच्च न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जब Ext.A1 स्पष्ट शब्दों में उसके तहत लेन-देन की गई संपत्ति को थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 845/1 में 2 एकड़ और 61 सेंट की सीमा वाली भूमि के रूप में वर्णित करता है।Ext.A1 के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि यह उन सीमाओं को निर्दिष्ट करता है जिनके भीतर संपत्ति की उक्त सीमा निहित है।Ext.A1 में पाठ जो सर्वेक्षण संख्या में संपत्ति को संपत्ति के रूप में वर्णित करता है। 2 एकड़ और 61 सेंट की सीमा के साथ-साथ इसकी चार सीमाओं में खड़े कुएं और अन्य पौधों के 3/5 वें हिस्से को ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता है जो लेन-देन के तहत संपत्ति की वास्तविक सीमा को कम करेगा, यानी 2 एकड़ और 61 सेंट जो इसके तहत उल्लिखित सीमाओं के भीतर शामिल हैं।इस संदर्भ में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलियांकलाडी, जिन्होंने Ext.A1 बिक्री विलेख के तहत संपत्ति की उपरोक्त सीमा खरीदी थी, ने वही संपत्ति अपीलार्थी/वादी को बेच दी थी।

Ext.A5 बिक्री विलेख सं। No.1759/1963 दिनांकित 15.07.1963 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है।जैसा कि पहले कहा गया है, इसके तहत लेन-देन की गई संपत्ति की सीमा भी 2 एकड़ और 61 सेंट है जो थिम्मनायकनूर गांव के सर्वेक्षण में शामिल है।इसलिए, एक बार जब Ext.A5 को वैध और अस्तित्व में माना जाता है, तो एक्सट्स के आधार पर इसके तहत पारित शीर्षक को 96 सेंट तक सीमित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है।निम्नलिखित ए 1 और ए 5 अवर न्यायालयों ों ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी/वादी पूरी सीमा तक अधिकार और अधिकार का हकदार है।उपरोक्त चर्चा और निष्कर्ष हमें अगले प्रश्न पर ले जाएंगे कि क्या उच्च न्यायालय, साक्ष्य की पुनः प्रशंसा पर, उस सीमा को कम करने में कानूनी और तथ्यात्मक रूप से सही था जिसके लिए अपीलार्थी/वादी Ext.A5 बिक्री विलेख के आधार पर हकदार है।एक्सट की स्वीकार्यता को देखते हुए।ए 1 और ए 5 अवर न्यायालयों प्रतिवादियों पर सबूत की जिम्मेदारी डालने में सही थीं क्योंकि निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी/वादी ने सबूत के अपने बोझ का निर्वहन कर दिया था।उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रतिवादियों की ओर से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की अवर न्यायालयों द्वारा उचित रूप से सराहना नहीं की गई थी और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी/वादी के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति की पूरी सीमा के संबंध में डिक्री दी गई थी।

33. नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों की जांच से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने फिर से एक त्रुटि की है क्योंकि नीचे दी अवर न्यायालयों ने प्रतिवादियों की ओर से साक्ष्य को स्वीकार नहीं करने के लिए ठोस कारण दिए थे।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि Ext.A5 को 15.07.1963 पर पंजीकृत किया गया था, नीचे दी अवर न्यायालयों ने उनके साक्ष्य मूल्य से संबंधित प्रश्न (ओं) पर विचार किया और क्या वे अपीलार्थी/वादी की ओर से दिए गए साक्ष्य से अधिक हो सकते हैं।जब एक बार एस. आर. ओ., अंदीपट्टी के मूल बिक्री विलेख की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से वैध और कानूनी रूप से स्वीकार्य के रूप में पाया जाता है और एक बार जब <आई. डी. 1. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को बेहतर अधिकार प्रदान करने वाले किसी भी सिद्ध दस्तावेज के अभाव में, जो कि नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, तो नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती आदेशों को उलटने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी/प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य का विश्लेषण करने पर निचली न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी (ओं) ने यह साबित करने वाला कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि वर्ष 1959 में पुलियांकलाडी द्वारा निकाली गई संपत्ति के गिरवी रखने से पहले प्रतिवादी का मुकदमे की संपत्ति पर कोई अधिकार था।इसलिए विचारण न्यायालय ने ठीक ही कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य

अपीलार्थी/वादी ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि 1959 तक वाद संपत्ति पुलियांकलाडी की थी और उसके बाद, अपीलार्थी/वादी ने पुलियांकलाडी से उसके तहत उल्लिखित परिस्थितियों में Ext.A5 के अनुसार संपत्ति खरीदी।चूँकि Ext.A5 कानूनी रूप से एस. आर. ओ., एंडिपट्टी के मूल बिक्री विलेख No.1209/1928 की सामग्री को स्थापित करता है, इसलिए उसे एक्स. टी. एस. द्वारा कवर की गई पूरी संपत्ति पर अधिकार प्रदान करना चाहिए।अपीलार्थी/वादी को ए 1 और ए 5।वास्तव में, केवल यह ही निचली न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था और निषेधाज्ञा का आदेश इस तरह की घोषणा का एक स्वाभाविक परिणाम था।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश को स्वीकार कर लिया। विवादित निर्णय पर सावधानीपूर्वक और चिंता से विचार करने पर हम धारा 100 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा नीचे दिए अवर न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों को उलटने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह के अभ्यास को उचित ठहराने वाला कोई आधार तत्काल मामले में मौजूद नहीं है।चर्चा का परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय को धारा 100 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, निचली अदालत के फैसले और निचली अदालत की डिक्री में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जिसे पहली अपीलीय अदालत ने स्वीकार किया था।तदनुसार, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।

34. परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जाती है।एस. ए. (एम. डी.) में उच्च न्यायालय का निर्णय तदनुसार 2004 की संख्या 802 दिनांकित 17.10.2012 को अपास्त करना दिया गया है और A.S.No.65/97 में उप-अदालत, पेरियांकुलम के फैसले को जिला मुन्सिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, अंदीपट्टी के ओएस No.104/1996 में दिनांकित 30.09.1997 के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया गया है।35. अपील की अनुमति ऊपर दी गई है।मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन